

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

पत्रांक-11 (स्थाप-क्षे0)-स्थान-02/2015-807  
:-कार्यालय आदेश:- 45  
:-शुद्धि पत्र:-

पटना-15, दिनांक-28.06.16

निदेशालय नियोजन के पत्रांक-803 दिनांक-27.06.2016 में टंकण भूल स्वरूप क्रमांक-32 में आंशिक संशोधन किया जाता है।

2. श्री कृष्ण कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक को जिला नियोजनालय, गोपालगंज के बदले विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, भागलपुर में स्थानांतरित समझा जाय।
3. पूर्व के निर्गत कार्यालय आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-  
(गोपाल मीणा)  
निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप0 (क्षे0)-स्थान-02/2015-807

पटना-15, दिनांक-28.06.16

प्रतिलिपि-सभी संबंधित उप निदेशक (नियोजन)/ सभी संबंधित सहायक निदेशक (नियोजन)/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/ सभी संबंधित नियोजन पदाधिकारी/वि0वि0नि0सू0 एवं मा0के0/सभी संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित कर्मचारियों को दिनांक-01.07.2016 तक निश्चित रूप से विरमित कर दें। अन्यथा वे दिनांक-01.07.2016 के अपराहन से स्वतः विरमित समझें जायेंगे। विरमित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरित कर्मचारी अपना प्रभार विधिवत् रूप से सौंप दें। तत्पश्चात् ही उनका अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय।
3. सभी स्थानांतरित कर्मचारियों के जुलाई 2016 को वेतन भुगतान स्थानांतरित स्थान से ही किया जाय।
4. सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. सरकार स्तर से प्रतिनियुक्त कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिनियुक्त आदेश रद्द समझें जायेंगे।
6. अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित कर्मियों को स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।
7. सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि स्थानांतरण आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन 05.07.2016 तक अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से समर्पित करे।
8. आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/06/16  
निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।